

11/11/14
28/2/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C. No. /2013

Harilal Paswan

... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Ors.

... **Respondents**

Sub :- *E.C.A.*

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
	Synopsis of the Case	I-
01.	An application under Article 226 of the Constitution of India, 1950 with Affidavit.	01-8
02.	Annexure-1: A true/photo copy of the License.	9-11
03.	Annexure-2: A true/photo copy of the order dated 05.10.2012.	12-13
04.	Annexure-3: A true/photo copy of the said Hon'ble Court order	14-16
	Vakalatanama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C. No. /2013

Harilal Paswan

... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Ors.

... **Respondents**

Synopsis of the Case

<u>Prayer</u>	The present application is being filed for challenging the order dated 05.10.2012 passed by learned S.D.O. Udakishunganj whereby and where under the License granted for carried on the business of a public distribution shop has been cancelled on the ground that petitioner has failed to submit his reply to the show-cause notice.
Year 2007	Petitioner has holding a valid license being license no. 238/07 for carried on the business of a public distribution shop.
Year-2012	on 05.10.2012 the learned S.D.O., Udakishunganj cancelled the license of the petitioner on the sole ground that even though show-cause have been issued to the petitioners he has not filed any reply which indicates that he has nothing to say accordingly cancelled the license.

Hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C . No. /2012

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of

Harilal Paswan, S/o Late Magan Paswan, Resident of Village-
Rahijagatpur, Tola-Tirashi, P.S.-Bihariganj, District-Madhepura

... **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar
2. The S.D.O., Udakishunganj

...**Respondents**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, The Chief
Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and her
Lordship's Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble writ application on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :

1. That the present application is being filed for challenging the order dated 05.10.2012 passed by learned S.D.O. Udakishunganj whereby and where under the License granted for carried on the business of a public distribution shop has been cancelled on the ground that petitioner has failed to submit his reply to the show-cause notice.
2. That petitioner has not moved any time earlier before this Hon'ble Court on the subject matter of the present application.
3. That petitioner is a citizen of India and living within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That petitioner has holding a valid license being license no. 238/07 for carried on the business of a public distribution shop.

A true/photo copy of the License is annexed herewith and for identification the same marked

as Annexure-1 to this writ petition.

5. That an enquiry has been conducted by the Block Supply officer, Bihariganj in respect of the allegation made by the villagers of Ward No. 8 Laximipur Panchayat. The Block Supply Officer, Bihariganj submitted his report vide letter no. 325-2 dated 16.03.2012 by which 8 persons of Ward No. 8 alleged that the dealer has been failed to provide food grains for the month of June 2011. One person alleged that dealer has failed to provide food grains for the month of May 2011.
6. That thereafter on 14.05.2012 a show-cause has been issued to the petitioner contained in Letter No. 1786 to submit a reply with a stipulated time prescribed in the show-cause but the above mentioned letter has never been served upon the petitioner. Hence no reply has been filed by the petitioner.
7. That subsequently on 22.08.2012 through letter no. 3119 the respondent authority again issued a show cause notice to the petitioner to submit a reply over the allegation levelled against him in the enquiry.

8. That the letter no. 3119 dated 22.08.2012 has never been served upon the petitioner till the filing of the present writ application. Hence he has failed to submit his reply.
9. That on 05.10.2012 the learned S.D.O., Udakishunganj cancelled the license of the petitioner on the sole ground that even though show-cause have been issued to the petitioners he has not filed any reply which indicates that he has nothing to say accordingly cancelled the license.

A true/photo copy of the order dated 05.10.2012 is annexed herewith and for identification the same marked as Annexure-2 to this writ petition.

10. That it is stated and submitted that no notices were ever been served upon the petitioner and that is why the reply has not been submitted before the licensing authority.
11. That it is respectfully submitted that earlier P.D.S. License No. 238/2008 has been granted for Ward No. 8 but in the month of

July 2011 the authority has been permitted him to transfer the shop from Ward No. 8 to Ward No. 9.

12. That it is also stated and submitted that the allegation of consumers namely Surendra Kumar, Sheela Devi, Bharai Mandal of Ward No. 9 are that the food grains for the month of March April, May, June not supplied to them is baseless because the license has transferred in the month of July and the petitioner can not be held responsible for non distribution of food grains.
13. That the some of the consumers of Ward No. 8 made an allegation of non distribution of food grains for the month of June are also not tenable because they did not come forward to took Rations from the petitioner's shop and there food grains is still lying in the stock.
14. That it is stated and submitted that petitioner is ready to submitted his reply if show cause if any has been served upon the petitioner.
15. That it is also stated and submitted that present order has been passed in violation of the principle of natural justice.

16. That the acts of the respondents are malafide and colourable exercise.
17. That in the facts and circumstances of the case petitioner has been advised to approach before this Hon'ble Court for the redressal of his grievances.
18. That in the similar facts and circumstances of the case other person approached before this Hon'ble Court their writ application has been allowed and matter is remitted to the S.D.O. for fresh consideration.

A true/photo copy of the said Hon'ble Court order is annexed herewith and for identification the same marked as Annexure-3 to this writ petition.

19. That in the facts and circumstances of the case it is fit case to quashed the order dated 05.10.2012.

It is, therefore, prayed that your Lordship's may graciously be pleased to admit this petition, issue

Rule NISI to the respondents as to why not the prayer made in para-1 of the writ application be allowed.

And/or

Pass any such other order/orders as your lordships may deem fit & proper in the facts and circumstances of the case.

And for this petitioner shall ever pray.


AFFIDAVIT

I, Harilal Paswan, aged about 50 years, S/o Late Magan Paswan, Resident of Village-Rahijagatpur, Tola-Tirashi, P.S.-Bihariganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of the present writ application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.
3. That the statements made in paragraph Numbers 2, 3 are true to my knowledge and the statements made in paragraph Nos. 2, 10, 18 are true to my information derived from this records of the case and rest are by way of submissions.
4. That the Annexure are photo/type copies of their respective originals.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत
उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापन संख्या 238/08
07/03
चालान संख्या 2124 तारीख 27/7/07
अनुज्ञापितधारी का नाम श्री सी.लाल पासवान
पिता/पति का नाम श्री ० मांगी पासवान
पता साठ- रहीजगपुर टोला बिहरी प्रो- बिहारीगंज



कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञापित के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अर्थात् श्री सी.लाल पासवान को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संचित करने लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निर्धारित स्थान पर करके इन इयक्तों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

भंडारण स्थान का विवरण
(क) खाता 905 खसरा 1419, 1420 लोकेशन नं.
(ख) दुकान का क्षेत्रफल

(ग) दुकान का विवरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(घ) पता श्री सी.लाल पासवान श्री ० मांगी पासवान रहीजगपुर टोला बिहारीगंज
(ङ) दुकान का चौहद्दी 30- कालेश्वर पासवान, 40- शास्त्री पासवान, 50- लाल पासवान, 60- लाल
(च) दुकान कियत पर है या दुकान मालिक का नाम एवं पता श्री सी.लाल पासवान बिहारीगंज

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण

- (i) खाद्यान्न
- (ii) खाद्य तेल
- (iii) परिवहन तेल
- (iv) चूना
- (v) कागज
- (vi) अन्य वस्तुएं

~~2008-12~~ के लिए नवापत
श्री
24/3/08
अनुमंडल पदाधिकारी
रुद्रकिशोर
24/3/08

3. (क) अनुज्ञापितधारी खाद्य आपूर्ति एवं वार्णिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में भंडार और विक्री पंजी संधारण करेगा। क्रमांक 2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा।
(i) खाद्यान्न विवरण या कितनी ग्राम में
(ii) खाद्य तेल कियत तेल लीटर में
(ख) अनुज्ञापितधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियों अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेंगे।

4. अनुज्ञापितधारी राजपत्रांतर अवकाश-मासिक चर्चा के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेंगे तथा " सूचना पट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट" दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगा। "सूचना पट" परिशिष्ट - 1 के अनुसार तथा "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पर "परिशिष्ट - 2" के अनुसार बनायेगा।
5. अनुज्ञापितधारी दुकान में सम्बद्ध ची ची पत्त, अन्याय और अन्तर्पूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगा।
6. अनुज्ञापितधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।
7. अनुज्ञापितधारी आवश्यक वस्तुओं का निर्धारित कीमत में उच्चतर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।
8. अनुज्ञापितधारी, सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमो (परिशिष्ट - 5 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा। कैशमैमों का कार्वन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञापितधारी का नाम, अनुज्ञापित संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।
9. अनुज्ञापितधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा। अनुज्ञापितधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।
10. अनुज्ञापितधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय सम्बन्धित गोदाम से उसका एक "संयुक्त नमूना" भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
11. अनुज्ञापितधारी कारवार में सम्बन्धित सभी सूचना, जिसकी उगमें मांग की जाय, सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा सभी आदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार, आर्युक्त जिला पदाधिकारी एवं अनुज्ञापित पदाधिकारी द्वारा दिया जाय।
12. अनुज्ञापितधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिये निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर सम्मत् सुविधाएं देगा।
13. अनुज्ञापितधारी द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" और शिकायत/मुद्दाव पुस्तिका" संधारित की जायेगी। अनुज्ञापितधारी, खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायत/मुद्दाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर शिकायत/मुद्दाव पुस्तिका" उपलब्ध करायेगा।
14. अनुज्ञापितधारी "विहार राशन कूपन योजना, 2006 एवं विहार किरासन तेल कूपन योजना 2006 के प्रावधानों का अनुपालन शत प्रतिशत करेगा।
15. अनुज्ञापितधारी सभी अनुज्ञापित तथा सभी प्रकार के पंजी/पुस्तिका एवं कैशमैमो दुकान में ही रखेगा।

अनुज्ञापितधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, कृंतकों आदि से रक्षा करेगा।

अनुज्ञापितधारी उर्वरक, कीटनाशक औषधि तथा विपले रासायनिक पदार्थों के साथ खाद्यान्न का भण्डारण नहीं करेगा।

18. अनुज्ञापितधारी सभी वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तराजू बटखरा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक सत्यापन मापतालय विभाग से समयमय करके दुकान में रखेगा।

19. अनुज्ञापितधारी माप के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अति शेष स्टॉक का हिमायत पर्याप्त आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलाोक में देगा और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।

20. अनुज्ञापितधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संचितरण के संबंध में बहिसी भी आवश्यकता का पता करेगा और ऐसा जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदा द्वारा माया जाय।

21. कोई राशन कार्ड धारक जो उचित कोमत की दुकान के ग्वामी (अनुज्ञापितधारी) के अधिलेख में उदरण अधिपान करना चाहता है। अनुज्ञापितधारी को निर्धारित फॉर्म रूपया 10 जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर लिखित अनुरोध एवं शुल्क प्राप्त की तारीख से 14 दिनों के भीतर अनुज्ञापितधारी राशन कार्ड धारक को अधिलेख के समे उदरण परतन करेगा।

22. यह अनुज्ञापन 238/08 तक विधमान्य होगी।
41112013

स्थान राठुर कार्यालय (30/11/13)

तारीख 4/11/08

Sd/- 04-01-08
अनुमण्डल पदाधिकारी
(अनुज्ञापन पदाधिकारी)
नाम, पदनाम एवं कार्यलय मुहर
411108/411108

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

-आदेश-

श्री हरिलाल पासवान, ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर लालचंद के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं इनके विरुद्ध ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर लालचंद के वार्ड नं०-८ के ग्रामीणों ने बी०पी०एल० खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने का साक्ष्य सहित (कूपन) परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी जाँच इस कार्यालय के पत्रांक-274, दिनांक-30.09.2011 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज से करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज ने पत्रांक-325-2, दिनांक-16.03.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि :-

01. कैलाश मंडल, पिता-स्व० मटुकी मंडल, कमलाकुंड, वार्ड नं०-८ के द्वारा बताया गया कि जून 2011 एवं जनवरी 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं की गयी साक्ष्य स्वरूप कूपन संख्या-0183590 की छायाप्रति उपलब्ध है।
02. सुलेन्द्र कुमार, पिता-चांदनी मंडल, ग्राम-चाँपटोला, वार्ड नं०-9 ने बताया कि मार्च 2011, अप्रैल, मई, जून एवं दिसम्बर 2011 तक कुल 5 महीना का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसका साक्ष्य स्वरूप कूपन संख्या-0183610 की छायाप्रति उपलब्ध है।
03. शंभू मंडल, पे०-स्व० भुमेश्वर मंडल, ग्राम-कमलाकुंड, वार्ड नं०-८ से पूछताछ किया गया तो वह बताया कि जून-2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है एवं कूपन मेरे पास सुरक्षित है जिसका साक्ष्य स्वरूप संख्या-0183610 की छायाप्रति उपलब्ध है।
04. शीला देवी, पति-अनन्दी मंडल, चाँप टोला, से पूछताछ किया गया तो वह बताया की जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है। जिसका जाँच प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
05. धर्मलाल मंडल, पिता-स्व० रौशन मंडल वार्ड सं०-८ एवं मंजू देवी, पति-कुसुमलाल मंडल, ग्राम-कमलाकुंड से पूछ-ताछ किया गया तो धर्मलाल मंडल ने बताया कि माह जून 2011 का खाद्यान्न एवं मंजू देवी ने बताया कि फरवरी एवं जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है जिसका साक्ष्य कूपन सं०-0237381 एवं 0237433 की छायाप्रति उपलब्ध है।
06. दिलीप मंडल, पिता-स्व० महेश्वर मंडल एवं प्रमोद मंडल, पिता-स्व० नाशचण मंडल, ग्राम-चाँपटोला वार्ड सं०-८ ने बताया कि माह जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है जिसका साक्ष्य कूपन सं०-0237416 एवं 0237425 की छायाप्रति उपलब्ध है।
07. देवल शर्मा, पिता-स्व० जगेश्वर शर्मा, विखल शर्मा, पिता-जागेश्वर शर्मा, ग्राम-कमलाकुंड वार्ड सं०-०८ ने बताया कि फरवरी एवं जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है जिसका साक्ष्य कूपन सं०-0237148 एवं 237402 की छायाप्रति उपलब्ध है।

08. शरद मंडल, पिता-हरिहर मंडल एवं मसमो शुशीला देवी, पति-स्व0 अवधेश मंडल से पूछ-ताछ किया गया तो वह बताया कि फरवरी, मई, जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है। जिसका साक्ष्य कूपन की छायाप्रति उपलब्ध है।

09. अकलेश मंडल पिता-केशवलाल मंडल, जनार्दन मंडल, पे0-सरयुग मंडल, देवन मंडल, पे0-डोमन मंडल, चाँपटोला, लक्ष्मीपुर लालचंद, वार्ड सं0-8 से पूछ-ताछ किया गया तो सभी ने जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है। जिसका साक्ष्य कूपन की छायाप्रति उपलब्ध है।

10. सीताराम साहू, पिता-स्व0 प्रसादी साहू, कलर शर्मा, पिता-स्व0 जगती शर्मा, ग्राम-कमलाकुंड, वार्ड सं0-8 से पूछ-ताछ किया गया तो दोनों ने बताया कि फरवरी एवं जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसका साक्ष्य कूपन सं0-0183831 एवं 0237404 की छायाप्रति उपलब्ध है।


11. मोथरी मंडल, पिता-स्व0 जागो मंडल, चम्पा देवी, पति सदाबंद मंडल एवं कुलो मंडल, पे0-स्व0 रौशन मंडल, ग्राम-चाँपटोला, लक्ष्मीपुर वार्ड सं0-8 से पूछ-ताछ किया गया तो सबों ने बताया कि मई एवं जून 2011 का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है जिसका साक्ष्य कूपन सं0-0237431, 0236613 एवं 0183637 की छायाप्रति उपलब्ध है।

12. पूनम देवी वार्ड सं0-08 चाँप टोला, लक्ष्मीपुर ने सभी उपभोक्ताओं के वक्तव्य का समर्थन की है, जिसके जाँच के मूल प्रति संलग्न है।

तत्पश्चात् जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1786, दिनांक-14.05.2012 द्वारा श्री हरिलाल पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जिसके अनुपालन में विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, फलस्वरूप पुनः इस कार्यालय के पत्रांक-3119, दिनांक-22.08.2012 द्वारा स्मारित करते हुये स्पष्टीकरण की माँग की गई परन्तु विक्रेता द्वारा अबतक कोई भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज द्वारा जाँच के दौरान लिये गये उपभोक्ताओं के बयान/पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूछे गये दो-दो स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है एवं इस बात को प्रमाणित करता है कि जाँच पदाधिकारी के जाँच के समय उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये बयान सही है और इस संबंध में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कुछ नहीं कहना है।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति वी0पी0एल0 लाभुकों को कूपन रहने के बावजूद भी उठाव किये गये खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करना, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2011 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में श्री हरिलाल पासवान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, लक्ष्मीपुर लालचंद, प्रखंड-बिहारीगंज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या- को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।


अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।


ज्ञापक.....⁷⁶⁵²⁻²...../दिनांक.....⁵⁻¹⁰⁻¹².....

प्रतिलिपि- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री हरिलाल पासवान, ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर लालचंद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक गोदाम प्रबंधक, रा0खा0नि0, बिहारीगंज/थोक किरासन तेल विक्रेता, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

Annexure-3

(14)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.19558 of 2012

Smt. Fulpati Devi, wife of Ramanand Ram, Resident of village- Koriyan,
P.S. Arwal, District- Arwal.

..... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar through the Secretary, Food & Civil Supply Department, Old Secretariat, Patna
2. The Secretary, Food & Civil Supply Department, Old Secretariat, Patna
3. The District Magistrate, Arwal
4. The Sub-Divisional Magistrate, Arwal
5. The Block Supply Officer, Arwal
6. District Supply Officer, Arwal.

..... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Sanjeet Kumar

For the Respondent/s : Mr. Kundan Bhadur Singh Sc22

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JAYANANDAN SINGH
ORAL ORDER

2 16-10-2012

In view of submission of learned counsel for the petitioner, this Court does not feel it necessary to call upon the respondents to file counter affidavit in the case. Learned counsel for the respondents also submits that this Court may dispose of the application on the basis of materials available on record.

By the impugned order of the Sub-Divisional Officer dated 22.11.2011, vide Annexure-2, PDS licence of the petitioner has been cancelled. Said order has been confirmed also in appeal by the Collector by order dated 5.5.2012, vide Annexure-1. Annexure-3 is the show cause notice, which shows that it was issued on 16.11.2011. In the show cause notice, three days time was allowed to the petitioner to file her show cause.

15

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner could not know about the notice as she was ill during the period. Hence, she did not file show cause and in her absence the Sub-Divisional Officer passed the impugned order cancelling her licence. He also submits that in appeal petitioner had brought this issue as ground no.(B) in the memo of appeal but the Collector has not considered the same and has brushed aside the ground taken by the petitioner and held that the ground of illness taken by the petitioner appears to be 'Post Thought'. He submits that illness or no illness, only three days time was allowed by the Sub-Divisional Officer, which was very short, and thereafter, he passed final orders within one week, without ensuring that notice was served on her.

Learned counsel for the petitioner appears to be correct. From the impugned order of the Sub-Divisional Officer also it does not appear that he has taken care to ascertain service of notice was affected on the petitioner or not. The fact that after issue of notice on 16th of November, 2011 he passed final orders on 22nd of November, 2011 without mentioning in his order that the notice had been served on the petitioner, shows that he acted in hot haste.

In the circumstances, appellate order of the Collector dated 5.5.2012 (Annexure-1) and the original order of the Sub-

(16)

Divisional Officer contained in Memo no.758 dated 22.11.2011 (Annexure-2) are quashed and the matter is remitted back to the Sub-Divisional Officer, Arwal to consider the representation of the petitioner, allow her to file further representation and thereafter, pass appropriate order afresh in accordance with law.

NOT OFFICIAL

(Jayanandan Singh, J)

Pradeep/-